

मूल वाद में अन्तिम डिक्री  
बमुकद में ईवतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 270/2023

वाद पत्र अं. धारा 53 आर.टी.ए.

1. मालाराम पत्रु श्री बीरबलराम जाति ब्राह्मण निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. सुरेश चन्द्र पुत्र श्री बीरबलराम जाति ब्राह्मण निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

- वादीगण

बनाम्

1. आबूराम दतक पुत्र श्री खेताराम जाति ब्राह्मण निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. जगतपाल पुत्र श्री बद्रीप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. दाताराम पुत्र श्री बद्रीप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. विद्या देवी पत्नी बद्रीप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
5. शुभकरण पुत्र स्व. श्री हजारीराम जाति ब्राह्मण निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
6. श्रवण कुमार पुत्र स्व.श्री हजारीराम जाति ब्राह्मण निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
7. राजकुमार पुत्र स्व.श्री हजारीराम जाति ब्राह्मण निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
8. सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व.श्री हजारीराम जाति ब्राह्मण निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
9. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

-प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक :- 4-6-2023

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आं.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरु हमारे बहाजरी श्री कुलदीप मूण्ड वकील वादीगण मिन जागिन मुदई.....मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:-

नाम काश्तकार मय वल्लिद्यत एवं सकूनात	चक का नाम खातों का विवरण	वर्तमान में कब्जा काश्त अनुसार काश्तकार का नाम	कब्जा काश्त अनुसार रकबा
1 आबूराम दतक पुत्र खेताराम 3.373 हि. 2 जगतपाल 1.349 हि. 3 दाताराम 1.349 हि. पि. बद्रीप्रसाद 4 विद्या पत्नि बद्रीप्रसाद 5 मालाराम 1.276 हि. 6 सुरेशचन्द्र 1.518 हि. पि. बीरबल 1.276 हि. राहिनान बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा संगरिया 7 लिछमा पत्नि भीया 0.126 हि. 8 हजारीराम पुत्र हरूराम 0.337 हि 9 हरिया पत्नि बीरबल 5.059 हि. जाति ब्राह्मण निवासी रासुवाला	प.मं. रासुवाला के चक 7 आईडीजी के खाता सं. 11/2 खाते का योग 2.783 हैक्. (विवादित श्रेणी काहै)	मालाराम पुत्र बीरबल जाति ब्राह्मण निवासी रासुवाला राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा संगरिया सुरेशचन्द्र पुत्र बीरबल जाति ब्राह्मण निवासी रासुवाला राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा संगरिया	प.न. 123/122 मु.न. 30 का कि.न. 16/1/0.127, 17/1/0.126, 24,25/0.506, प.न. 123/123 मु.न. 45 का कि.न. 4/1/0.215, 4/2/0.038 गै.मु. रास्ता, 5/1/0.215, 5/2/0.038 गै.मु. रास्ता कुल-1.265 हेक्. प.न. 124/123 मु.न. 44 का कि.न. 1/1/0.215, 1/2/0.038 गै.मु. रास्ता, 2/1/0.215, 2/2/0.038 गै.मु. रास्ता, 9,10/0.506 प.न. 123/123 मु.न. 45 का कि.न.6,7/0.506 कुल-1.518 हेक्.

महायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया




अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है  
भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित  
रने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है  
तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश  
दये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/1339 दिनांक 24.04.2025  
द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन  
करेंगे।

नोट:- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों  
का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज:  मुब्लिक  बाबत  खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की  
तारीख से तारीख वसूलयाबी तक  को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 4.6.2024 को खुले न्यायालय में जारी  
किया गया।

  
(जय कौशिक)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी,  
संगरिया  
उत्तरांचल